Fourteenth Loksabha

Session: 9 Date: 08-12-2006

Participants: Chidambaram Shri P., Mahajan Smt. Sumitra

an>

Title: Regarding non-availability of EC Bond Forms for traders.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) अध्यक्ष जी, एक तरफ तो लोग चाहते हैं कि सरकारी उपक्रमों में पैसा इंवैस्ट करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि लोग इनमें पैसा इंवैस्ट करें। Section 54 ECof the Income Tax 1961 provides that capitalgain arising from the transfer of a long-term capital asset shall not be charged to tax to the extent such gains are invested in long-term specified asset within a period of six months after the date of such transfer.इसमें पहले यह था कि नाबार्ड, एनएचएआई, आरईसी आदि कई उपक्रम रखे गए थे। उसमें एक संशोधन लाकर केवल नेशनल हाईवे अथोरिटी और आरईसी इन दो को ही रखा गया है। इन्होंने कहा है कि ये उपक्रम पित्रक इश्यू निकालेंगे, लेकिन आज तक इनके पित्रक इश्यू बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार की केपिटल गेन की प्रापर्टी को ट्रांसफर किया था, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि वे सिर्फ 1500 करोड़ रुपए और 4500 करोड़ रुपए का इश्यू लाएंगे। यह काफी छोटी रकम है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जितनी प्रापर्टी ट्रांसफर होगी, वह पूरे देश में 6000 करोड़ रुपए तक होगी। इतनी छोटी अमाउंट से कैसे काम चलेगा, फिर भी जुलाई में इनका जो इश्यू निकलना था, वह आज तक नहीं निकला है और बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह कहा गया कि इसकी तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2006 कर दी गई है। जिन लोगों ने ऐसी प्रापर्टी ट्रांसफर की हो 1 जून, 2006 से 30 जून, 2006 तक, उनके लिए 31 दिसम्बर, 2006 तक की तारीख तो तय कर दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंन इस प्रकार से अपनी असेट्स बेची है और जो इंवैस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो रही है, क्योंकि बाजार में इनके फार्म्स उपलब्ध नहीं हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे इस ओर भी ध्यान दें और ऐसी सहूलियतें दें जिससे वे आरबीआई में इंवैस्ट कर सकें। इस प्रकार की सहूलियतें मिल जाती हैं तो भी ठीक रहेगा।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, let me clarify that two windows were open. An amount of Rs. 6000 crore was allowed under these windows. They have been oversubscribed. So, I am now considering not only extending the time but also opening an additional window so that these people can be taken. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN: The time was fixed up to 31st December. So, are you going to extend the time? ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He is proposing to extend the time also.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The time will be extended. ... (*Interruptions*) Both will be done.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN: I would like to know whether forms will be available or not. ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Yes.

MR. SPEAKER: It is good. You have got your decision.

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN: Thank you very much.

MR. SPEAKER: You are always welcome.